Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
ISSN : 2582-0095
doi : https://doi.org/10.32628/GISRRJ

सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा पर प्रभावः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

जितेन्द्र पाठक (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र)
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, ऑडेन पडरिया, मैनपुरी,उ.प्र.

Article Info

Article History
Accepted : 20 Sep 2024
Published : 05 Oct 2024

Publication Issue :
Volume 7, Issue 5
September-October-2024

Page Number : 15-19

सारांश:
शिक्षा मानव के आंतरिक अंधकार को मिलाकर उसके अंतर्गत को प्रकाशित करती है। उस प्रकाश से मनुष्य को एक विशेष दृष्टि मिलती है। इसी दृष्टि को जीवन की दृष्टि भी कहा जाता है। जो हमें सांसारिक सत्य से रूबरू कसारांश:राती है। यह जीवन दृष्टि शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की वाहक है। जो किसी भी राष्ट्र व समाज के विकास की दिशा को निर्धारित करती है। परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है। यह परिस्थितिजन्य है। जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रही है। अतः शिक्षा की युग व परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न सोपानों को पार करते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो भारत के सामाजिक, आर्थिक कल्याण में परिवर्तन ला सकती है। बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय-समय पर कई शैक्षिक अभियान चलाये है। जिनमें सर्व शिक्षा अभियान भी शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान:

सर्व शिक्षा अभियान "सबके लिए शिक्षा" हेतु एक जन-आन्दोलन है जिसका उद्देश्य विद्यालय गतिविधियों में समुदाय को सक्रिय सहभागिता से सभी समुदायों एवं वर्गों को सन्तोषप्रद गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक शिक्षा प्रदान करना है तथा यह प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्वी-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है। अक्टूबर,

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License** (CC BY-NC 4.0)

1998 में हुए राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर समुदाय की सहभागिता से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' को नवम्बर, 2000 में मंजूरी दी गई। राजस्थान में यह योजना वर्ष 2001-2002 में प्रारम्भिक शिक्षा के सुदृढीकरण व सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार की 85:15 की भागीदारी से शुरू की गई है। अब यह भागीदारी 65:35 कर दी गई है। इसकी नोडल एजेन्सी राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् है। इस कार्यक्रम में पूरा देश सम्मिलित है और इससे 11 लाख शहरों तथा नगरीय क्षेत्रों के 19.2 करोड़ बालक लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में 8.5 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और 33 लाख शिक्षक भी इस कार्यक्रम की सीमा में आते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में, जहां विद्यालयीं सुविधाएँ नहीं है, यहाँ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों मूत्रालयों, पीने के पानी, रख-रखाव, अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान के जरिये बुनियादी वांचे को मजबूत किया जाएगा। अपर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले विद्यालयों को कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण, शिक्षक-शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से उन्नत किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्गों की छात्राओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे डिजिटल दूरी को कम करने में मदद मिलेगी। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन:

इस अभियान के तहत कोन्द्र तथा राज्य सरकारें मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन मन्त्री होंगे। इसी प्रकार राज्यों में भी इस अभियान के लिए मुख्यमन्त्री अध्यक्ष तथा शिक्षामंत्री उपाध्यक्ष होंगे। केंद्र व राज्य के मिलकर प्रयास करने से एक सूत्रता लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान की विशेषताएँ (Features of Sarva Shiksha Abhiyan)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रशिक्षित उद्देश्य के लिए यह ऐतिहासिक पहल है। यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत देश के लिए प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियो का सामना करने के लिए वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. बालिकाओं पर विशेषतः अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान देना।
2. बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें।

3.विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना।

4. बालिकाओं के लिए विशेष प्रशियाण और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।

5. शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम।

6. बालिका शिक्षा से सम्बन्धित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान।

7.50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य (Objectives of Sarva Shiksha Abhiyan)

1. 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बालक सन् 2003 तक स्कूल शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र ब्रिज कोर्स में जाएं।

2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी की जाए।

3. वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।

4. जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पर बल दिया जाए। .

5 वर्ष 2007 तक प्रारम्भिक स्तर पर सभी लड़के-लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अन्तरों को और प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना।

6.सन् 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या शून्य करना।

7. प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर समस्त लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद समाप्त करना।

8. सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।

9. साक्षरता पुस्तकालय, पोषण, खेल-कूद, महिला सबलीकरण जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जन-समुदाय एवं विद्यालय में साझेदारी का विकास करना।

10. जीवन कौशलों को बढ़ावा देकर शिक्षा को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना।

सर्व शिक्षा अभियान और बालिका शिक्षा:

आजादी के बाद से ही भारत सरकार लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) कहती है शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के एजेंट के रूप में किया जाएगा। अतीत की संचित विकृतियों को निष्प्रभावी करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सुविचारित बढत होगी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक, हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएगी। यह पुनः डिजाइन किए गए पठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों, निर्णय निर्माताओं और प्रशासकों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास और शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नए मूल्यों को विकास को बढ़ावा देगा। यह विश्वास और सामाजिक इंजीनियरिंग का कार्य होगा विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान, समय लक्ष्य निर्धारित करने और प्रभावी निगरानी के माध्यम से, महिलाओं की निरक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच और बनाए रखने में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी।

बालिकाएं भारतीय समाज की सबसे गरीब और सबसे वंचित श्रेणियों में से एक हैं, जिन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना कठिन लगता है। समाज के सभी स्तरों पर बालिका शिक्षा के प्रति समझ की कमी और नकारात्मक रवैया है। भारत में बहुत कम लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त है। सर्व शिक्षा अभियान ढांचा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है, यह देखते हुए कि शिक्षा प्रणाली में केवल बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है कि हर लड़की स्कूल जाए। इसे सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन के साथ-साथ समर्थित होना होगा। इसके लिए, एमएसए ने आठवीं कक्षा तक लड़कियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने, समान सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक-संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करने और लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरुकता में समुदाय को संगठित करने जैसे कई उपायों को सूचीबद्ध किया है। प्राथमिक स्तर पर तड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू होने के बाद भी लड़कियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

पिछले से दशकों में भारत सरकार द्वारा नामांकन पर बहुत जोर दिया गया है। परिणामस्वरूप, इसमें वास्तव में वृद्धि हुई है, लेकिन स्कूल, कक्षा-कक्ष, प्रशिक्षित शिक्षक, किताबें और शिक्षण सामग्री जैसी संबंधित संरचनाएं "सार्थक शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सभी चीजे" स्कूल के लिए पंजीकरण करते वालो की संख्या के बराबर नहीं रही हैं।

नामांकित लोगों के बीच भी, कई अध्ययनों और आंकड़ों ने बहुत स्पष्ट रूप से नोट किया है कि भागीदारी में लैंगिक विसंगति है यह लड़कों के पक्ष बहुत अधिक पक्षपाती है। निजी स्कूलों में बड़ी संख्या में लड़के आते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर लड़कियों पंजीकृत होती हैं। इससे पता चलता है कि माता-पिता मानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी बेटियों की तुलना में उनके बेटों के लिए अधिक महत्वपूर्ण और फायदेमंद है हालांकि सार्वजनिक और निजी स्कूलों के बीच गुणवत्ता में कथित वास्तविक अंतर वास्तविकता में संदिग्ध हो सकता है। कई अन्य सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाएं भी माता-पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से झिझकती हैं: घोर गरीबी, लड़कियों की सुरक्षा, विवाह, स्कूली शिक्षा के बारे में धारणाएँ और वास्तविक शिकायत इत्यादि।

लैंगिक संवेदनशीलता, कई मामलों में शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में लगे अन्य लोगों के लिए चिंता का मुख्य विषय नहीं है। यह जांच का विषय नहीं है कि शिक्षा शास्त्र और पद्धति के अधिक व्यावहारिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर पर, लड़कियों से घर का काम करने और भाई-बहनों की देख भाल करने की अपेक्षा की जाती है, जो महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके परिणामस्वरूप उनका स्कूल में नामांकन नहीं होता है या उनकी लगातार अनुपस्थिति और अंततः पढ़ाई छूट जाती है। इससे इस स्थिति में मदद नहीं मिलती कि लड़कियों की शिक्षा पर कोई गुणात्मक चर्चा नहीं होती। शिक्षा की गुणवता और कक्षा के अंदर और बाहर

लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं जैसे मुद्दों पर विचार किए बिना यह सुनिश्चित करने की कोशिश में अधिक से अधिक लड़कियों को लड़कों के रूप में नामांकित किया जाए, संख्याओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कूल में लड़कियों को कैसे देखा जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है. यह उनकी शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण योगदान है।

इस अभियान से स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश में काफी वृद्धि हुई है, सितंबर 2003 में शुरू किए गए प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ने अधिक गहन सामुदायिक गतिशीलता, समूहों में मॉडल स्कूलों के विकास के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर वचित लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रावधान प्रदान किए। शिक्षकों का लिंग संवेदीकरण, लिंग-संवेदनशील शिक्षण सामग्री का विकास, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा सुविधाएं और लड़कियों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान भी किए गए है।

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 2003-04 में प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (NPEGEL) का गठन किया गया। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के अंतर्गत आने वाली पिछड़ी, साधनहीन, शालात्यागी विद्यालय न जाने वाली तथा कामकाजी विद्यालय न जाने वाली तथा कामकाजी बालिकाओं के लिए चलायीं जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंच और प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए सुविधाओं को विकसित और विस्तारित करने बालिकाओं का सबलीकरण सुनिश्चित करने एवं विभिन्न हस्तक्षेपों के द्वारा शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने से है।

संदर्भ:

1. अग्रवाल, जे.सी. (1995). भारत में प्राथमिक शिक्षा, नई दिल्लीः विद्या विहार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986. भारत सरकार
3. झा. ज्योत्सना, और धीर झिंगरन (2005), गरीबों और अन्य वंचित समूहों के लिए प्राथमिक शिक्षा, मनोहर प्रकाशन, नई दिल्ली
4. वजीर, रेखा, एड. (2000), द जेंडर गैप इन बेसिक एजुकेशन, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली,
5. लाल, रमन बिहारी, 2005, "भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ", रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, पृ० 39,
6. पाठक, पी0 डी0, 2014, "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ," अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा,
7. जैन प्रतिभा, 1998, "भारतीय महिला: सांस्कृतिक संदर्भ, रावत प्रकाशन, जयपुर,
8. तिवारी, आर.पी., 1999, "भारतीय महिला: वर्तमान समस्याएं और समाधान", नई दिल्ली।
9. "रिर्पोट राष्ट्रीय महिला आयोग", 1994, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृ० 98
10. दृष्टि द विजन, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्व एवं चुनौतिया", 31 जुलाई 2020